



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223881
CG-DL-E-23122020-223881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4105]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942

No. 4105]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4668(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वलसाड जिले में NH848 के कि.मी. 64.3 से कि.मी. 64.7 (तालुका सेवा सदन 1स्ट फ्लोर धरमपुर) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18/03/2020 " को "सन्देश" और तारीख "19/03/2020 " को "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वलसाड जिले में NH848 के कि.मी. 37/4 से कि.मी. 66/7 (तालुका सेवा सदन १स्ट फ्लोर धरमपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: वलसाड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कपराडा				
	गांव का नाम: हुंडा				
1	417	निजी	कृषि	0.1472	कालीबेन यसवतभाई नेवरति भाई यसवतभाई रमेशभाई यसवतभाई सीतारामभाई लक्ष्मणभाई महादुभाई लक्ष्मणभाई बालुभाई लक्ष्मणभाई (४१७)
2	418	निजी	कृषि	0.0082	कालीबेन यसवतभाई नेवरति भाई यसवतभाई रमेशभाई यसवतभाई सीतारामभाई लक्ष्मणभाई महादुभाई लक्ष्मणभाई बालुभाई लक्ष्मणभाई (४१८)
3	455	निजी	कृषि	0.1971	पालीबेन महादुभाई भीमाभाई महादुभाई (४५५)
4	456	निजी	कृषि	0.258	सादुभाई देवरामभाई गंगाराम देवरामभाई आनीबेन देवरामभाई सीतारामभाई देवरामभाई जानूभाई देवरामभाई महदूभाई देवरामभाई हीरामनभाई देवरामभाई (४५६)
			कुल	0.6105	

[फा. सं. GJ/P/V/15/2019/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4668(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH848 on the stretch of land from Km. 64.3 to Km. 64.7 (Taluka Seva Sadan 1st Floor Dharampur) in the district of VALSAD in the State of GUJARAT;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh” dated 18/03/2020 and “Times of India” dated 19/03/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH848 in the stretch from 37/4 to 66/7 (Taluka Seva Sadan 1st Floor Dharampur) in the district of VALSAD in the State of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: VALSAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kaprada				
	Village: Huda				
1	417	Private	agriculture	0.1472	Kaliben Yesvatbhai Nevarti Bhai Yesvatbhai Rameshbhai Yesvatbhai Sitarambhai Laxmanbhai Mahadubhai Laxmanbhai Balubhai Laxmanbhai 417
2	418	Private	agriculture	0.0082	Kaliben Yesvatbhai Nevarti Bhai Yesvatbhai Rameshbhai Yesvatbhai Sitarambhai Laxmanbhai Mahadubhai Laxmanbhai Balubhai Laxmanbhai 418
3	455	Private	agriculture	0.1971	Paliben Mahadubhai Bhimabhai Mahadubhai 455
4	456	Private	agriculture	0.258	Sadubhai Devarambhai Gangaram Devarambhai Aaniben Devarambhai Sitarambhai Devarambhai Janubhai Devarambhai Mahdubhai Devarambhai Hiramanbhai Devarambhai 456
			TOTAL	0.6105	

[F. No. GJ/P/V/15/2019/3D]

RAJESH GUPTA, Director